न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 8/2016 (मूलतः अपील)

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नवरतन पुत्र भंवरलाल जाति सुनार निवासी जायल तहसील जायल जिला नागौर हाल निवासी सोजती गेट, बम्बावडी रोड, शांतिनगर मेडतासिटी तहसील मेडता जिला नागौर।		तहसीलदार, जायल जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री राजेश रावल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 28.05.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 5/2015 सरकार बनाम लालाराम में निर्णय दिनांक 01.01.16 के तहत मौजा जायल के खसरा नं. 1424 व 1166 गै.मु. गोचर व रास्ता भूमि पर अतिक्रमण नही हटाये जाने से संबंधित पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाये जाने के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.02.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 17.02.16 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.01.16 को निर्णय पारित किया गया था, उस समय अपीलांट का चाचा बहुत बीमार था तथा बीमारी की अवस्था में दिनांक 12.01.16 को उसका स्वर्गवास हो गया। लालाराम के स्वर्गवास के पश्चात अपीलांट 15–12 दिनों तक उनके अंतिम संस्कार व क्रियाक्रमों के कार्य मे व्यस्त रहा। जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में विवादित जायगा पर पुलिस आई तथा उसने मुकदमें के संबंध में दिनांक 25.01.16 को प्रथम सूचना रिपोर्ट तहसीलदार जायल द्वारा दर्ज करवाने के तथ्य के बारे में बतलाने पर अपीलांट को जानकारी हुई तथा तहसीलदार के आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की तथा नागौर आकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील प्रस्तुत की। अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी माह जनवरी के अंतिम सप्ताह में होने से जानकारी के 30 दिन के भीतर भीतर यह अपील प्रस्तुत की है। विकल्प में यदि अपील कुछ दिन विलंब से पेश होना माना जावे तो उक्त परिस्थितियों को देखते हुए अपील प्रस्तुत करने में कुछ दिनों के विलंब को क्षमा कर उक्त अपील को समयावधि में माना जाना उचित आवश्यक व न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

2}(II)–उक्त पत्रावली में भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत गलत मौका रिपोर्ट के आधार पर सार्वजनिक रास्ते की जायगा पर अतिक्रमण मानकर निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्ण रूप से गलत है। प्रकरण में जो भू अभिलेख निरीक्षक जायल की रिपोर्ट पेश हुई है वह दिनांक 10.11.15 को तैयार हुई है। उक्त रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत तैयार की गई है तथा अपीलांट की जायगा को गलत रूप से खसरा नं. 1166 रास्ते पर स्थित होना दर्शित किया है। जबकि खसरा नं. 1166 के किसी भू भाग पर अपीलांट का कब्जा नही है। अपीलांट के चाचा का मकान 35–40 वर्षो से अधिक समय से खसरा नं. 1424 में बना हुआ है, जिसमें 5–6 वर्ष पूर्व से विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त कर रखा है, जिसके विद्युत बिल भी वही प्राप्त होते है, इसलिये रास्ते की भूमि खसरा नं. 1166 पर अतिक्रमण मानकर जो आदेश पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(III)–अपीलांट के चाचा का कब्जा खसरा नं. 1424 मे वर्षो से रहता चला आया है, जिसका इन्द्राज संवत 2042 से 2049 तक के खसरा परिवर्तन निर्धारण तथा गै. मुस्तकिल काश्यत में स्पष्ट रूप से आया हुआ है, जिसमें अपीलांट के लाला सुनार का कब्जा खसरा नं. 1424 में दर्शित किया गया है। अपीलांट के चाचा की कब्जासुद जायगा खसरा नं. 1166 में स्थित है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के चाचा के विरूद्व अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो मौके के हालात व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अपीलांट के चाचा लालाराम के मकान के दोनो ओर पूर्व व पश्चिम में कई मकान बने हुए है, जिनके विरूद्व किसी प्रकार की कार्यवाही नही की गई तथा बीच में स्थित में अपीलांट के चाचा की जायगा को गलत रूप से रास्ते का भाग बतलाया गया है। जबकि खसरा नं. 1424 करीब 250–300 पक्के मकान बने हुए है, जो मालियो की ढाणी व इन्द्रा कॉलोनी नाम के मोहल्ले के रूप में जाने जाते है तथा खसरा नं. 1424 की काफी भूमि को जो कि खसरा नं. 1166 के चिपते ही आई हुई है, राजस्व रेकर्ड में गै.मु. आबादी दर्ज की हुई है, अपीलांट के चाचा की कब्जासुद जायगा भी इसी गै.मु. आबादी में स्थित है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक की गलत रिपोर्ट दिनांक 10.11.15 के द्वारा खसरा नं. 1166 में होना मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

{2}(V)–प्रकरण सही तथ्यों की व मौके के सही हालात की स्थिति स्पष्ट करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नं. 1424 व 1166 का टीम गठित कर सही सीमाकंन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से खारिज किया गया, उक्त दोनो खसरा नं. 1166 व 1424 का सही रूप से मुस्तकिल बिन्दु से सीमाकंन करने पर यह स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जायेगी कि लालाराम का कब्जासुद मकान खसरा नं. 1166 में आता है अथवा खसरा नं. 1424 में किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर गौर किये बिना ही मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.16 के आधार पर जो कि खसरा नं. 1424 के आबादी क्षेत्र में निवास करने वाले सभी परिवारों की अनुपस्थिति में तैयार की गई थी, जो मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}(VI)–उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुछ भू माफिया लोगो की मदद करने के उद्देश्य से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रकरण में वास्तविक स्थिति यह है कि खसरा नं. 1424 व खसरा नं. 1063 के मध्य खसरा नं. 1166 के रास्ते की जो जायगा थी, उस पर खसरा नं. 1063 के खरीददार रामानंद सोनी पुत्र हनुमान प्रसाद सोनी ने अतिक्रमण कर अपने खेत की जायगा में शामिल करते हुए, उसे छोटे छोटे भूखण्डों के रूप में विक्रय करना शुरू कर दिया, उसके द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 06.05.15 दस्तावेज पंजीयन सं. 2015000880 जो कि नथूराम के पक्ष में निष्पादित किया गया, उक्त जायगा को भी मौका रिपोर्ट में खसरा नं. 1166 का भाग होना दर्शित किया जाकर उसे भी अतिक्रमी माना है। रास्ता खसरा नं. 1166 जो कि खसरा नं. 1063 के चिपते ही लगता है, उस संपूर्ण जायगा पर रामानंद सोनी द्वारा कब्जा कर रखा है तथा गलत रूप से रास्ते को खसरा नं. 1424 के गै.मु. आबादी में दर्शित करवाकर नुकसान कारित करने पर आमादा है क्योंकि खसरा नं. 1166 की रास्ते की भूमि को सम्मिलित करते हुए भूखण्ड विक्रय करने के पश्चात जिन लोगो को रास्ते की जायगा के भूखण्ड विक्रय किये गये उन लोगो के द्वारा गलत रूप से शिकायते करवाकर भू अभिलेख निरीक्षक से मिलावट कर गलत मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गई है, जो माने जाने योग्य नही है। साथ ही खसरा नं. 1063 की जायगा का सही रूप से सीमाकंन किया जाने पर खसरा नं. 1166 की जायगा स्वतः ही खसरा नं. 1063 में सम्मिलित करने का तथ्य स्पष्ट हो जायेगा। खसरा नं. 1424 गै.मु. आबादी में जो मकानात बने हुए है, वे सभी पुराने बने हुए है, जिनका इन्द्राज भी खसरा परिवर्तित निर्धारण में आया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की बारीकी में नही जाकर तथा मौके की स्थिति का सही मूल्यांकन नही कर मात्र भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 10.11.15 जो की मिलावट कर तैयार की गई है, उसके आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

{2}(VII)–भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.15 में संपूर्ण खसरा नं. 1424 को गै.मु. ओरण होना दर्ज किया है, जबकि वर्तमान में खसरा नं. 1424 का काफी हिस्सा राजस्व रेकर्ड में गै. मु. आबादी दर्ज है, जिसे खसरा नं. 1424/1 व 1424/52 दर्ज किया हुआ है, इसी में मालियों की ढाणी व इन्द्रा कॉलोनी के संपूर्ण मकानात बने हुए है, जिसे मौका रिपोर्ट में कही भी दर्शित नही किया गया है, साथ

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, राजस्थान

अपर कलक्टर, नागौर

ही मौका रिपोर्ट दिनांक 29.12.15 में खसरा नं. 1166 के संबंध में दी गई है, जबकि अपीलांट के चाचा लालाराम व आस पास के सभी मकानात खसरा नं. 1424 के गै.मु. आबादी क्षेत्र में स्थित है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रकार की जांच किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

{2}(VIII)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में अपीलांट की आपत्ति पर किसी प्रकार की जांच नही की, न कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत हुआ है, पटवारी द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया वो एकपक्षीय था, जिसको प्रमाणित करने हेतु पटवारी के सशपथ बयान लिये जाने तथा पटवारी से जिरह करने का अवसर अपीलांट को दिया जाना आवश्यक था, पटवारी का प्रतिवेदन अप्रमाणित था व रहा है, जिसे सही मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, निरस्तनीय है।

{2}(IX)–धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की कार्यवाही में जब अप्रार्थी द्वारा पटवारी की रिपोर्ट को चुनौती दी जाती है तो न्यायालय का दायित्व बनता है कि इस बाबत जांच करे, यद्यपि वह जांच संक्षिप्त हो सकती है, परंतु किसी प्रकार की जांच किये बिना आदेश पारित किया जावे तो वह आदेश वैधानिक नही है, इस प्रकरण में आपत्ति के बावजूद किसी प्रकार की जांच नही की गई, न पटवारी से जिरह का अवसर दिया गया, न पटवारी के सशपथ बयान ही लिये गये, ऐसी दशा में कोई जांच न होने से अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी भूमि पर लालाराम पुत्र बंशीलाल का अतिक्रमण पाये जाने पर उसके विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (6) के तहत नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त लालाराम द्वारा अपना पक्ष भी रखा गया है तथा लालाराम की मृत्यु पश्चात अपीलांट द्वारा यह अपील उक्त लालाराम को अपना चाचा बताते हुए प्रस्तुत की गई है। आया लालाराम के कब्जे की भूमि हेतु अपीलांट किस प्रकार हितबद्व है। ऐसा अपील में कोई आधार नही लिये जाने से अपीलांट की अपील निरस्त किये जाने योग्य है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा यह भी कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.01.16 को पारित आदेश धारा 91 (6) के तहत संबंधित पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाये जाने को लेकर है। जिसकी अपील इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार की नही है। जिसके आधार पर भी अपील चलने योग्य नही है।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके जायल के खसरा नंबर 1424 व 1166 गै.मु. गोचर व रास्ता भूमि पर अतिक्रमण लालाराम पुत्र बंशीलाल द्वारा किया जाना पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (6) के तहत दर्ज किया जाकर अतिक्रमण हटाये जाने की अपेक्षा की गई। मगर अतिक्रमण नही हटाये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाये जाने का आदेश दिनांक 01.01.16 को पारित किया गया। जिस पर पुलिस थाना जायल में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 12/25.1.16 दर्ज होना अपीलांट ने अपनी अपील में कथन किया है। अपीलांट द्वारा उसके चाचा लालाराम फौत हो जाने से उसकी ओर से उसके पक्ष में वसीयत को आधार लेते हुए यह अपील प्रस्तुत की गई है। मगर प्रस्तुत वसीयतनामें की फोटोप्रति के अनुसार आराजी भूमि अपीलांट को वसीयत की गई हो, ऐसा प्रतीत/प्रकट नही हो रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट, अपील लाने का हक भी नही रखता है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (6) के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाये जाने का आदेश पारित किया गया है। इससे संबंधित अनुसंधान एवं नतीजे से संबंधित कार्यवाही पुलिस एवं ज्यूडीशियल न्यायालय से संबंधित कार्यवाही है तथा इस प्रकरण में अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाये जाने का विनिश्चय किया गया है। जो उनका अंतिम आदेश नही है तथा जब मामले में कोई अंतिम आदेश ही नही है तो ऐसे मामले की अपील कानूनन चलने योग्य भी प्रतीत नही होती है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील चलने योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर